

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2016 सत्र
दैनिक कार्य सूची
सोमवार, दिनांक 25 जुलाई, 2016 (श्रावण 3, 1938)
समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार –

(क) मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 में संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमांक 1524-एफ (3) 20-10-दो-अड़तालीस, दिनांक 05 जुलाई, 2016,

(ख) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमांक 1528-फा (2) 13-2016-दो-अड़तालीस, दिनांक 05 जुलाई, 2016, तथा

(ग) मध्यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमांक 1526-फा (2) 14-2016-दो-अड़तालीस, दिनांक 05 जुलाई, 2016, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का नवम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015, तथा

(ख) बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अंतर सिंह आर्य, पर्यावरण मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015, तथा

(ख) मध्यप्रदेश जल अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) एवं वायु अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016, पटल पर रखेंगे.

(4) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन् 1973) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 (दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक) पटल पर रखेंगी.

(5) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार –

(क) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 47 वां प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015, तथा

(ख) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015 (अकादमिक वर्ष 30 जून 2015 को समाप्त),

पटल पर रखेंगे.

(6) श्रीमती ललिता यादव, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 13 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, प्रदेश में खसरा खतौनी वितरण व्यवस्था त्रिसंगतिपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुखेन्द्र सिंह "बन्ना", सदस्य, प्रदेश के महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश से शासकीय कॉलेजों में प्रवेश न मिलने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम रीठी से पतौता तक रोड की मरम्मत एवं डामरीकरण किये जाने,

(2) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम सरगवां की समस्त शा.मा. शालाओं का उन्नयन किये जाने,

(3) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले की सीप नदी पर नवीन पुल निर्माण किये जाने,

(4) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले में मऊगंज से बरां व पहाड़ी मार्ग के निहाई नदी पर पुल बनाये जाने,

(5) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य, शिवपुरी जिले के बरूआ नाले पर रपटा /पुल निर्माण किये जाने,

(6) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के कानाकीर तालाब का नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने,

(7) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले की मकरोनिया नगर पालिका में सुलभ काम्पलेक्स बनाये जाने,

(8) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर- मालवा जिले की रपटपारा बस्ती में ट्रान्सफार्मर लगाकर विद्युत प्रदाय किये जाने,

- (9) श्री मुकेश पण्ड्या, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम मुण्डत (चामलेश्वर) चामला नदी पर पुलिया निर्माण किये जाने,
 - (10) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के इंदरगढ़ स्थित दालमिल की रोड एवं नाली निर्माण कराये जाने,
 - (11) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रोसरा को एम्बुलेंस प्रदान किये जाने,
 - (12) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम कोठी में पानी की समस्या दूर किये जाने,
 - (13) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम पलारी से भीमगढ़ तक की सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने,
 - (14) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम त्रिसनौरी में सोन नदी पर स्टापडेम बनाये जाने,
 - (15) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले की ग्राम पंचायत सावन के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
 - (16) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम भगवानपुरा स्थित कन्या प्री मेट्रिक होस्टल में 50 सीट की वृद्धि किये जाने,
 - (17) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम सेमलिया हीरा के शा.उ.मा. विद्यालय भवन का निर्माण किये जाने,
 - (18) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ पलेरा मुख्य मार्ग से ग्राम हनुमतपुरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
 - (19) श्री मथुरालाल, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम रत्नागढ़ खेड़ा में हाईस्कूल प्रारंभ किये जाने,
 - (20) श्री संजय उईके, सदस्य, बालाघाट जिले के सुदुर वन ग्राम लालपुर से वनग्राम ढांगाटोला तक सड़क एवं पुलिया निर्माण,
 - (21) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन में चिकित्सकों की पदस्थापना करने,
 - (22) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम लालपुर से मकसी रोड तक फोर लेन रोड बनाये जाने ,
 - (23) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम गोवर्धनपुरा में हाई स्कूल स्थापित करने,
 - (24) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले की संजय ड्राईव सिंगल सड़क को डबल लाईन की सड़क बनाये जाने,
 - (25) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम लोंगट में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
 - (26) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले की पटेरा नगर पंचायत में एक नवीन हाई स्कूल खोले जाने,
 - (27) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम पंचायत अकौरिया के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
 - (28) श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य, रतलाम जिले के घंटाघर के व्यापारियों को नवीन शॉपिंग काम्प्लेक्स में दुकान दिये जाने,
 - (29) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम बरथरा के कब्रिस्तान का सीमांकन किये जाने,
 - (30) श्री दिनेश राय "मुनमुन", सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम मारवोड़ी सहित अन्य ग्रामों में मुआवजा राशि प्रदाय किये जाने,
 - (31) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा मंडी से बायपास रोड तक सड़क बनाये जाने,
 - (32) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम पांगरा से भेंसून तक मार्ग बनाये जाने,
 - (33) श्री कालु सिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के ग्राम नालछा स्थित कन्या हाईस्कूल का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,
 - (34) श्री नारायण सिंह पंचवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के व्यावरा के शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेण्ड्री स्कूल में फाटक खिड़की तथा बाउन्ड्री वाल कराये जाने,
 - (35) श्री गिरीश भंडारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम झाड़ला के शासकीय हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
 - (36) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम रघुनाथपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
 - (37) श्री इंद्र सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के पोलायकलों में सर्व सुविधायुक्त खेल स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
 - (38) कुँवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के बहोरीबंद जलाशय का स्ट्रेक्चर एवं नहर लाईनिंग की मरम्मत कराये जाने,
 - (39) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले में आदिवासी छात्राओं के लिये प्री-मैट्रिक छात्रावास खोले जाने,
 - (40) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम डोगरगांव से ग्राम जोतखेड़ा को जोड़ने वाली कच्ची सड़कें बनाये जाने,
 - (41) श्री संदीप जायसवाल, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम निवार (पहाड़ी) में आर्ट्स एवं कामर्स विषय का महाविद्यालय प्रारम्भ किये जाने,
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
 - (2) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 18 सन् 2016) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
 - (3) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 15 सन् 2016) पर विचार किया जाए.
- उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

निर्धारित
समय

6. वर्ष 2016-2017 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
“ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 74 तथा 75 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चौदह हजार दो सौ सतानवे करोड़, इक्यासी लाख, चालीस हजार, आठ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. ”

2 घंटे

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2016 (क्रमांक 17 सन् 2016) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

हाल ही में प्रदेश के अनेक जिलों में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

भोपाल :
दिनांक : 24 जुलाई, 2016

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.